प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

02 प्रकरणों/वादों में सतत पैरवी कर करायी गयी सजा

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप कुल 02 प्रकरणों/वादों में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर सजा सुनायी गयी है। विवरण निम्नवत् हैः-

1. **दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा-** थाना रामपुर मथुरा से सम्बन्धित मु0अ0सं0 227/11 धारा 363/366/368/376 भा.द.वि. बनाम बालकराम पुत्र सिधावर चौहान निवासी शादीपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर में रामपुर मथुरा पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 376 भा.द.वि में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 5,000/- रू0 के अर्थदण्ड तथा अन्तर्गत धारा 366 भा.द.वि. में 08 वर्ष के कारावास एवं 4,000/- रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
2. **एन.डी.पी.एस के अभियोग में 02 वर्ष कारावास की सजा-** थाना हरगांव से सम्बन्धित मु0अ0सं0 180/12 धारा 8/22 एन.डी.पी.एस एक्ट बनाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी सलारपुर चन्देसुवा थाना हरगांव जनपद सीतापुर को हरगांव पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष के कारावास एवं 2,000/- रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।